

>

Title: Papers Laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नम्बर दो से नौ, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री किरेन रिजीजू जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3954/17/21]

- (3) (एक) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिजीकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिजीकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए

विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

।

[Placed in Library, See No. LT 3955/17/21]

- (5) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3956/17/21]

- (7) (एक) चण्डीगढ़ वक्फ बोर्ड, चण्डीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे ।
- (दो) चण्डीगढ़ वक्फ बोर्ड, चण्डीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3957/17/21]

- (8) (एक) वक्फ बोर्ड अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे ।
- (दो) वक्फ बोर्ड अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3958/17/21]

- (9) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3959/17/21]

- (10) (एक) लक्षद्वीप राज्य वक्फ बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) लक्षद्वीप राज्य वक्फ बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3960/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री राज कुमार सिंह जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) एनटीपीसी लिमिटेड तथा इसकी धारक कंपनी नीपको के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 3961/17/21]

- (दो) एनटीपीसी लिमिटेड तथा इसकी धारक कंपनियों और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 3962/17/21]

- (तीन) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता

ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 3963/17/21]

(चार) एनएचपीसी लिमिटेड तथा एनएचडीसी लिमिटेड के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 3964/17/21]

(2) (एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3965/17/21]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) डीएनएच पावर डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड, सिल्वासा के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) डीएनएच पावर डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड, सिल्वासा का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3966/17/21]

(ख) (एक) इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3967/17/21]

- (ग) (एक) सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3968/17/21]

- (4) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायो-एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायो-एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3969/17/21]

- (5) (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुरूग्राम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुरूग्राम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3970/17/21]

- (7) (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुरूग्राम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुरूग्राम के वर्ष 2019-2020 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3971/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री हरदीप सिंह पुरी जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

- (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3972/17/21]

- (2) (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3973/17/21]

- (3) (एक) निर्माण सामाग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) निर्माण सामाग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3974/17/21]

- (4) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3975/17/21]

- (6) (एक) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3976/17/21]

- (7) (एक) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3977/17/21]

- (9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (क) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
(दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3978/17/21]

- (ख) (एक) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
(दो) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3979/17/21]

- (ग) (एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
(दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3980/17/21]

- (घ) (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3981/17/21]

(ड) (एक) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3982/17/21]

(च) (एक) नोएडा मेट्रो रेल लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नोएडा मेट्रो रेल लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3983/17/21]

(छ) (एक) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3984/17/21]

(ज) (एक) गुजरात मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) गुजरात मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3985/17/21]

(झ) (एक) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3986/17/21]

- (ज) (एक) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
(दो) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3987/17/21]

- (ट) (एक) रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
(दो) रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(10) उपर्युक्त (9) के (झ) और (ट) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3988/17/21]

(11) भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लद्दाख भू-संपदा (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम, 2020 जो 8 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.619(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3989/17/21]

(12) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.936(अ) जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना फेस-एक और फेस-दो संरेखण (अलाइनमेन्ट) के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3990/17/21]

(13) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार सामान्य पूल निवास स्थान (संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 17 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.114(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3991/17/21]

(14) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 4046(अ) जो 11 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो होलंबी कला में रसायन व्यापारियों को भूमि के आबंटन के लिए वर्ष 2019-20 हेतु पूर्व निर्धारित दर का नियतन किए जाने के बारे में है ।

(दो) का.आ. 4675(अ) जो 23 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निजी स्वामित्व के अधीन भूमि के विकास के लिए नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रभारों का नियतन किए जाने के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 3992/17/21]

(15) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3993/17/21]

(16) वायुयान अधिनियम , 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नागर विमानन मंत्रालय (वायुयान प्रचालनों की सुरक्षा के लिए ऊंचाई संबंधी प्रतिबंध) संशोधन नियम, 2020 जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.770(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(दो) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.142(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक

व्याख्यात्मक टिप्पण ।

[Placed in Library, See No. LT 3994/17/21]

(17) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (विमान पत्तनों का प्रबंधन) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 जो 19 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एएआई/पीईआरएस/ईडीपीए/रेग./2002 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

[Placed in Library, See No. LT 3995/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री मनसुख मांडविया जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा(4) के अंतर्गत पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 जो 23 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.665(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3996/17/21]

(2) नावधिकरण (सामुद्रिक दावों की अधिकारिता और निपटान) अधिनियम, 2017 की धारा 16 की उप-धारा(4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (केवल अंग्रेजी संस्करण में):-

(एक) उड़ीसा उच्च न्यायालय नावधिकरण (सामुद्रिक दावों की अधिकारिता और निपटान) नियम, 2020 जो 28 अगस्त, 2020 के उड़ीसा के राजपत्र में अधिसूचना सं. 889-एक्स-3/2020/आर में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) अधिसूचना संख्या एसआरओ सी-17/2020 जो 30 सितम्बर, 2020 के तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मद्रास स्थित उच्च न्यायालय न्यायाधिकारिता के समक्ष लाए गए मामलों में प्रक्रिया तथा संचालन को विनियमित करने के लिए नियमों के बारे में है ।

(3) उपयुक्त मद संख्या (2) में उल्लेखित अधिसूचनाओं का हिन्दी संस्करण उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण दर्शाने वाला विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 3997/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, (1)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 451(अ) जो 29 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पैकेज-एक और पैकेज-दो के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर हरियाणा और राजस्थान राज्य में एनएच-148ख के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से 31.240 किलोमीटर (वर्तमान किलोमीटर 7.960 से 39.340 किलोमीटर) तक नारनौल बाईपास से पनियालामोड़ तथा एनएच-148ख के डिजाइन किलोमीटर 28.000 से 51.460 किलोमीटर तक नारनौल बाईपास और एनएच-11 के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से 11.300 किलोमीटर (वर्तमान किलोमीटर 68.700 से 79.000 किलोमीटर) तक नारनौल से पचेरीकलां तक को 4/6 लेन करने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है ।

(दो) का.आ. 452(अ) जो 29 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी फेस-दो के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में एनएच-31 के इस्लामपुर बाईपास – गोशपुकुर खंड (इस्लामपुर बाईपास के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से 10.360 डिजाइन किलोमीटर तक और वर्तमान किलोमीटर 506.950 से 551.000 किलोमीटर तक) को चार लेन किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है ।

(तीन) का.आ. 453(अ) जो 29 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-40 (पुराना एनएच-18) के किलोमीटर 300.193 से किलोमीटर 337.693 (पुराना किलोमीटर 18.350 से

- किलोमीटर 56.000 तक) के चित्तूर-कुरनूल खंड को पारियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है ।
- (चार) का.आ. 509(अ) जो 3 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एचएएम पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में एनएच-150 के डिजाइन किलोमीटर 308.550 से डिजाइन किलोमीटर 358.500 (वर्तमान किलोमीटर 309.150 से वर्तमान किलोमीटर 359.120 तक) के बायरापुरा-चल्लाकेरे खंड को चार लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है ।
- (पांच) का.आ. 528(अ) जो 4 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-67 के डिजाइन किलोमीटर 424.650 से किलोमीटर 487.663 (वर्तमान किलोमीटर 424.650 से किलोमीटर 487.693 तक) के गूटी-तड़ीपात्री खंड को चार या अधिक लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है ।
- (छह) का.आ. 555(अ) जो 5 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर तेलंगाना राज्य में एनएच-163 के डिजाइन किलोमीटर 59.500 से किलोमीटर 132.033 (वर्तमान किलोमीटर 59.550 से किलोमीटर 132.300 तक) के मन्नेगुड़ा-रावुलापल्ली खंड को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है ।
- (सात) का.आ. 556(अ) जो 5 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353घ के किलोमीटर 97.487 से किलोमीटर 137.250 के नागबीड से अमरोरी खंड को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है ।
- (आठ) का.आ. 557(अ) जो 5 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में एनएच-765घ के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 62.920 के हैदराबाद आउटर रिंग रोड जंक्शन से मेदक खंड को चार या अधिक लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है ।
- (नौ) का.आ. 616(अ) जो 10 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जो इपीसी मोड पर हारियाणा राज्य में एनएच-334ख के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 97.864 (वर्तमान किलोमीटर 130.770 से किलोमीटर 228.630 तक) के झज्जर-लोहारू खंड को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(दस) का.आ. 617(अ) जो 10 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो इपीसी मोड पर उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-96 (नया एनएच-330) के डिजाइन किलोमीटर 60.000 से किलोमीटर 90.865 (वर्तमान किलोमीटर 60.000 से किलोमीटर 90.000 तक) के सुल्तानपुर-प्रतापगढ़ खंड को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 618(अ) जो 10 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो इपीसी मोड पर उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-76ड. (नया एनएच-35) के डिजाइन किलोमीटर 450.150 से किलोमीटर 486.970 (वर्तमान किलोमीटर 450.000 से किलोमीटर 486.775 तक) के इलाहाबाद-मिर्जापुर खंड को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता फीस संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(बारह) का.आ. 619(अ) जो 10 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो इपीसी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में एनएच-461ख के डिजाइन किलोमीटर 44.220 से किलोमीटर 97.450 (वर्तमान किलोमीटर 44.425 से किलोमीटर 97.785 तक) के रिसोड से हिंगोली खंड को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 649(अ) जो 11 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो इपीसी मोड पर मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-12 (नया एनएच-46) के डिजाइन किलोमीटर 315.725 से किलोमीटर 421.325 (वर्तमान किलोमीटर 316.1 से किलोमीटर 423.4 तक) के भोपाल-बिओरा खंड को चार लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 707(अ) जो 17 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एचएएम पर आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-544घ के डिजाइन किलोमीटर 212.983 से किलोमीटर

322.800 (वर्तमान किलोमीटर 213.000 से किलोमीटर 322.840 तक) के गिदालूर से विनुकोंडा खंड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(पन्द्रह)

का.आ. 790(अ) जो 19 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड (पैकेज-2) पर भारतमाला परियोजना के राजस्थान राज्य में एनएच-911 के डिजाइन किलोमीटर 101.000 से किलोमीटर 263.460 के रायसिंहनगर से पूगल खंड को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(सोलह)

का.आ. 945(अ) जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच-76 के किलोमीटर 388.263 से किलोमीटर 492.322 तक (किलोमीटर 443.170 से किलोमीटर 458.170 तक के बारन बाइपास) के कोटा बारन खंड डिजाइन चेनेज को चार लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(सत्रह)

का.आ. 946(अ) जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हाईब्रिड एन्युटी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में एनएच-150ड. के डिजाइन किलोमीटर 99.400 से किलोमीटर 138.352 (वर्तमान किलोमीटर 102.819 से किलोमीटर 141.400 तक) के अक्कालकोट से शोलापुर खंड को चार लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(अठारह)

का.आ. 1013(अ) जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी फेस चार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-29 के डिजाइन किलोमीटर 12.010 से किलोमीटर 84.160 (वर्तमान किलोमीटर 12.000 से किलोमीटर 88.000 तक) के वाराणसी गोरखपुर खंड को चार लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(उन्नीस)

का.आ. 1053(अ) जो 5 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में एनएच-211 के डिजाइन किलोमीटर 320.640 से किलोमीटर 376.250 (वर्तमान किलोमीटर 320.104 से किलोमीटर

375.000 तक) के शोलापुर से धुले खंड को चार लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(बीस) का.आ. 1098(अ) जो 10 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में एनएच-361ख के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 27.199 के रालेगांव से सिरसगांव से वाडनेर खंड को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 1099(अ) जो 10 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी आधार पर महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353ज के किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 53.710 के मोरहसी से चंदुरबजार से अचलपुर खंड को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 1100(अ) जो 10 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी आधार पर केरल राज्य में एनएच-66 (पुराना एनएच-47) के डिजाइन किलोमीटर 408.100 से किलोमीटर 414.900 (वर्तमान किलोमीटर 408.100 से किलोमीटर 414.900 तक) अलप्पुझा बाईपास को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(तेईस) का.आ.1021(अ) जो 9 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का.आ.1022(अ) जो 9 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(पच्चीस) का.आ.1054(अ) जो 13 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (छब्बीस) का.आ.1055(अ) जो 13 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (सत्ताईस) का.आ.1056(अ) जो 13 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अट्ठाईस) का.आ.1116(अ) जो 17 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (उनतीस) का.आ.1363(अ) जो 24 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (तीस) का.आ.1364(अ) जो 24 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इकतीस) का.आ.1365(अ) जो 24 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 जून, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ.1726(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बत्तीस) का.आ.1366(अ) जो 24 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तैंतीस) का.आ.1506(अ) जो 12 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौंतीस) का.आ.1507(अ) जो 12 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय

राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।

- (पैंतीस) का.आ.1508(अ) जो 15 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।
- (छत्तीस) का.आ.1504(अ) जो 15 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (सैंतीस) का.आ.1505(अ) जो 15 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।
- (अड़तीस) का.आ.1666(अ) जो 27 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (उनतालीस) का.आ.1667(अ) जो 27 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।
- (चालीस) का.आ.1668(अ) जो 27 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (इकतालीस) का.आ.1669(अ) जो 27 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।
- (बयालीस) का.आ.1670(अ) जो 27 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।
- (तैंतालीस) का.आ.1671(अ) जो 27 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

- (चवालीस) का.आ.1734(अ) जो 3 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (पैंतालीस) का.आ.1735(अ) जो 3 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 नवम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ.5663(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (छियालीस) का.आ.1954(अ) जो 18 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (सैंतालीस) का.आ.1956(अ) जो 18 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (अड़तालीस) का.आ.1967(अ) जो 19 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (उनचास) का.आ.1968(अ) जो 19 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राजमार्गों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है ।
- (पचास) का.आ.1969(अ) जो 19 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ.1365(अ) को निरस्त किया गया है ।
- (इक्यावन) का.आ.1970(अ) जो 19 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (बावन) का.आ.2065(अ) जो 25 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राजमार्गों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है ।
- (तिरपन) का.आ.2163(अ) जो 30 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राजमार्गों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है ।
- (चौवन) का.आ.2209(अ) जो 3 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें यह निदेश दिए गए थे कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड उक्त में उल्लेखित राजमार्ग खंडों के विकास और रख-रखाव संबंधी कार्य करेगा।

- (पचपन) का.आ.2210(अ) जो 3 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छप्पन) का.आ.2211(अ) जो 3 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 अप्रैल, 2002 की अधिसूचना सं. का.आ.465(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्तावन) का.आ.2212(अ) जो 3 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 मई, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ.1283(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अठावन) का.आ.2213(अ) जो 3 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उनसठ) का.आ.2386(अ) जो 20 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (साठ) का.आ.2387(अ) जो 20 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इकसठ) का.आ.2406(अ) जो 21 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राजमार्गों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।
- (बासठ) का.आ.2407(अ) जो 21 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की

अधिसूचना सं. का.आ.689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं

।

- (तिरसठ) का.आ.2408(अ) जो 22 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राजमार्गों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है ।
- (चौसठ) का.आ.2566(अ) जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राजमार्गों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है ।
- (पैसठ) का.आ.2643(अ) जो 6 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (छियासठ) का.आ.2644(अ) जो 6 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।
- (सड़सठ) का.आ.3180(अ) जो 17 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राजमार्गों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है ।
- (अड़सठ) का.आ.3239(अ) जो 23 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राजमार्गों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है ।
- (उनहत्तर) का.आ.3411(अ) जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।
- (सत्तर) का.आ.3459(अ) जो 1 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (इकहत्तर) का.आ.3460(अ) जो 1 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।
- (बहत्तर) का.आ.3461(अ) जो 1 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय

राजमार्गों के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।

- (तिहत्तर) का.आ.3642(अ) जो 16 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।
- (चौहत्तर) का.आ.3643(अ) जो 16 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (पचहत्तर) का.आ.3644(अ) जो 16 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (छिहत्तर) का.आ.3743(अ) जो 21 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।
- (सतहत्तर) का.आ.3744(अ) जो 21 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (अटहत्तर) का.आ. 4022(अ) जो 6 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है ।
- (उनासी) का.आ. 4023(अ) जो 6 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (अस्सी) का.आ. 4024(अ) जो 6 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है ।
- (इक्कासी) का.आ. 4132(अ) जो 17 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय

राजमार्गों के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।

- (बयासी) का.आ. 4133(अ) जो 17 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है ।
- (तिरासी) का.आ. 4144(अ) जो 18 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (चौरासी) का.आ. 4145(अ) जो 18 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 1055(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (पच्चासी) का.आ. 4182(अ) जो 23 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (छियासी) का.आ. 4282(अ) जो 27 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है ।
- (सतासी) का.आ. 4339(अ) जो 3 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (अठासी) का.आ. 4363(अ) जो 3 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है ।
- (नवासी) का.आ. 4368(अ) जो 3 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है ।
- (नब्बे) का.आ. 4490(अ) जो 10 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र

में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्यानवे) का.आ. 4491(अ) जो 10 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(बानवे) का.आ. 4540(अ) जो 15 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(तिरानवे) का.आ. 4580(अ) जो 17 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौरानवे) का.आ. 4581(अ) जो 17 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(पचानवे) का.आ. 4582(अ) जो 17 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियानवे) का.आ. 4583(अ) जो 17 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित खंडों के विकास और रख-रखाव से संबंधित कार्य करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को निदेश दिया गया है।

(सतानवे) का.आ. 4682(अ) जो 23 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की

अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(अठानवे) का.आ. 4733(अ) जो 28 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(निन्यानवे) का.आ. 11(अ) जो 1 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है ।

(एक सौ) का.आ. 41(अ) जो 5 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(एक सौ एक) का.आ. 42(अ) जो 5 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले छब्बीस विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3998/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, साध्वी निरंजन ज्योति जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद

के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (दो) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3999/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री रतन लाल कटारिया जी की ओर से मैं डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड तथा जल शक्ति मंत्रालय के बीच वर्ष के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ।

[Placed in Library, See No. LT 4000/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री प्रताप चन्द्र षडुंगी जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय लघु उद्यम निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
- (दो) राष्ट्रीय लघु उद्यम निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2)

उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4001/17/21]

- (3) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो डेनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो डेनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4002/17/21]

- (4) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4003/17/21]

- (5) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4004/17/21]

- (6) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4005/17/21]

- (7) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजायन), हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजायन), हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4006/17/21]

- (8) (एक) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (ग) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4007/17/21]